राज्य सभा

संशोधित कार्यावलि

शुक्रवार, 15 दिसम्बर, 2017

मध्याह्न पूर्व 11 बजे

दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि

निम्नलिखित के प्रति **श्रद्धांजलि**:-

1. श्री खामसुम नमग्याल पुलगर (पूर्व सदस्य);
2. श्री एस. बी. रमेश बाबू (पूर्व सदस्य);
3. श्री रिशांग कीशिंग (पूर्व सदस्य);
4. श्री अर्जन सिंह, भारतीय वायु सेना के मार्शल;
5. श्री जयंती लाल बारोट (पूर्व सदस्य);
6. श्री माखन लाल फोतेदार (पूर्व सदस्य);
7. श्री गया सिंह (पूर्व सदस्य);
8. डा. ईश्वर चंद्र गुप्ता (पूर्व सदस्य);
9. श्री मिर्ज़ा इरशादबेग (पूर्व सदस्य); और
10. श्री सुकोमल सेन (पूर्व सदस्य)।

सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र

I. **महासचिव** राज्य सभा के दो सौ तैंतालीसवें सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित और राष्ट्रपति द्वारा अनुमत विधेयकों को दर्शाने वाला विवरण (अंग्रेज़ी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखेंगे।

II. निम्नलिखित मंत्री पृथक् सूची में दर्ज पत्रों को सभा पटल पर रखेंगे:-

1. **श्री रामविलास पासवान** उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के लिए;
2. **राव इन्द्रजीत सिंह** रसायन और उर्वरक मंत्रालय के लिए;
3. **श्री मनोज सिन्हा** संचार मंत्रालय के लिए;
4. **श्री विजय गोयल** संसदीय कार्य मंत्रालय के लिए;
5. **श्री सी.आर. चौधरी** उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के लिए; और
6. **श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत** कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के लिए।

न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के अधीन जांच समिति का प्रतिवेदन

महासचिव न्यायाधीश (जांच) नियमावली, 1969 के नियम 9 और 10 के साथ पठित न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 की धारा 4 की उप-धारा (3) के अधीन निम्नलिखित प्रलेख सभा पटल पर रखेंगे:-

(i) न्यायमूर्ति श्री एस.के.गंगेले, न्यायाधीश, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के संबंध में न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के अधीन गठित जांच समिति का प्रतिवेदन (अंग्रेज़ी तथा हिन्दी में); और

(ii) जांच समिति के समक्ष गवाहों द्वारा दिए गए साक्ष्यों और जांच के दौरान प्रदर्शित प्रलेखों की एक-एक प्रति।

मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2017 संबंधी प्रवर समिति के प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण हेतु समय बढ़ाये जाने का प्रस्ताव

डा . विनय पी. सहस्त्रबुद्धे

श्री अजय संचेती निम्नलिखित प्रस्ताव उपस्थित करेंगे:-

"मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2017 संबंधी प्रवर समिति को सभा में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए दिया गया समय 27 दिसम्बर, 2017 तक बढ़ाया जाए।"

सरकारी कार्य के संबंध में वक्तव्य

श्री विजय गोयल सोमवार 18 दिसम्बर, 2017 से आरंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के संबंध में वक्तव्य देंगे।

#प्रश्न

पृथक् सूचियों में दर्ज **प्रश्न** पूछे जाएंगे और उनके उत्तर दिए जाएंगे।

(मध्याह्न पश्चात् 2.30 से मध्याह्न पश्चात् 5.00 बजे तक)

गैर सरकारी सदस्यों का विधान कार्य

पुर:स्थापन के लिए विधेयक

श्रम (कल्याण और पुनर्वास) विधेयक, 2017.

1. **श्री विवेक गुप्ता** प्रस्ताव करेंगे कि श्रम बाजार में गतिशील प्रवृत्ति का पता लगाने, कतिपय अवधियों तक बेरोजगार रहने वाले कामगारों को ब्याज रहित ऋण प्रदान करने हेतु योजनाओं का उपबंध करने, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत सभी लोगों के लिए सर्वव्यापी मूल आय सहित सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के लिए दिशा-निर्देश जारी करने, मौसमी कार्यों में नियोजित कामगारों के लिए कार्य रहित अवधि के दौरान मजदूरी का उपबंध करने, बागान कामगारों के

#मध्याह्न 12 बजे।

लिए कठिनाई बोनस का उपबंध करने, बंद पड़े उद्योगों के कामगारों के पुनर्वास के लिए योजनाएं तैयार करने हेतु श्रम कल्याण और पुनर्वास प्राधिकरण की स्थापना तथा तत्संसक्त और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए एक विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

विधेयक को पुर:स्थापित **भी** करेंगे।

2. **श्री विवेक गुप्ता** प्रस्ताव करेंगे कि इक्कीस वर्ष की आयु तक लड़कियों के विवाह को लंबित करने के लिए मासिक प्रोत्साहन योजनाएं, महिलाओं के लिए, यदि पति अमद्यसारिक हो, वार्षिक बोनस सहित उच्च ब्याज दर प्रदान करने वाली विशेष बचत योजनाएं, सूक्ष्म ऋण योजनाओं के लिए विशेष निधि, कृषि कर्मकारों के लिए चल स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं हेतु दिशा-निर्देशों, निजी नियोजन अभिकरणों के विनियमन, विधवाओं हेतु योजनाओं का उपबंध करने तथा तत्संसक्त और उसके आनुषंगिक विषयों के लिए महिला सशक्तीकरण और कल्याण प्राधिकरण का गठन करने के लिए एक विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

महिला (सशक्तीकरण और कल्याण) विधेयक, 2017.

विधेयक को पुर:स्थापित **भी** करेंगे।

3. **श्री विवेक गुप्ता** प्रस्ताव करेंगे कि पर्यावरण और सार्वजनिक स्थलों के स्वच्छ और स्वास्थ्यकर रखरखाव का प्रावधान करने, झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले लोगों का समुचित आवासों में पुनर्वास करने, झुग्गी-झोंपड़ियों में रहने वाले लोगों को पुनर्निर्माण कार्यकलापों में रोजगार उपलब्ध कराने हेतु दिशानिर्देश जारी करने, नागरिकों के बीच स्व-प्रबंधन की प्रणाली को सुकर बनाने, भूमिगत जलनिकासी और नालियों का समुचित नेटवर्क बनाने, पैदलयात्रियों और साइकिल चालकों के लिए समर्पित पथ का निर्माण करने, साइकिलों को सब्सिडीकृत करने और पर्यावरण अनुकूल परिवहन के संवर्धन हेतु नीतियां तैयार करने, फेरीवालों के लिए सामुदायिक बाजारों का सृजन करने और मेट्रो स्टेशनों और भूमिगत मार्गों (सब-वे) में उनका पुनर्वास करने, फेरीवालों को लाइसेंस जारी करने, निजी हॉस्टलों और सशुल्क अतिथि आवासों द्वारा पालन किए जाने योग्य न्यूनतम मानकों का प्रावधान करने और उनके अनिवार्य पंजीयन की संस्तुति करने, शहरी क्षेत्रों में आर्थिक और रोजगार अवसरों के समान पुनर्वितरण को सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने तथा तत्संसक्त और उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए शहरी क्षेत्र सम्यक विकास प्राधिकरण की स्थापना करने हेतु विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

शहरी क्षेत्र (सम्यक विकास और विनियम) विधेयक, 2017

विधेयक को पुर:स्थापित **भी** करेंगे।

4. **श्री के.टी.एस. तुलसी** प्रस्ताव करेंगे कि कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों के मानवाधिकारों का संरक्षण करने, उनके तथा उनके कुटुम्बों के विरुद्ध विभेद का उन्मूलन करने, उनके सामाजिक कल्याण का संवर्धन करने, कुष्ठ रोग के निवारण और नियंत्रण के लिए उपाय करने और तत्संगत और आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों और उनके कुटुम्बों के अधिकार (विभेद के प्रति संरक्षण और सामाजिक कल्याण की गारंटी) विधेयक, 2017

विधेयक को पुर:स्थापित **भी** करेंगे।

5. **डा. विनय पी. सहस्त्रबुद्धे** प्रस्ताव करेंगे कि शैक्षिक नवाचार आयोग की स्थापना करके देश में शैक्षिक नवाचार की अवधारणा, प्रयोग और कार्यान्वयन का

शैक्षिक नवाचार आयोग विधेयक, 2017

संवर्धन करने और तत्संगत और आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

विधेयक को पुरःस्थापित **भी** करेंगे।

6. **श्री वि. विजयसाई रेड्डी** प्रस्ताव करेंगे कि भारत के संविधान का और संशोधन करने के लिए एक विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए। *संविधान (संशोधन) विधेयक, 2017 (नए अनुच्छेद 21ख का अंतःस्थापन)।*

विधेयक को पुरःस्थापित **भी** करेंगे।

7. **श्री वि. विजयसाई रेड्डी** प्रस्ताव करेंगे कि लोक सेवकों द्वारा किसी व्यक्ति को जबरन लापता किए जाने अथवा किसी लोक सेवक की अनुमति अथवा उपमति से किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को जबरन लापता किए जाने के लिए दण्ड का और उससे संबद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए। *जबरन लापता किए जाने का प्रतिषेध विधेयक, 2017.*

विधेयक को पुरःस्थापित **भी** करेंगे।

8. **श्री वि. विजयसाई रेड्डी** प्रस्ताव करेंगे कि लोक सेवकों द्वारा दी गई यातना या किसी लोक सेवक की सहमति या उपमति से किसी व्यक्ति द्वारा यातना देने के लिए दंड का और उससे संबद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए। *यातना निवारण विधेयक, 2017*

विधेयक को पुरःस्थापित **भी** करेंगे।

9. **श्री राजकुमार धूत** प्रस्ताव करेंगे कि राज्य द्वारा अपराधों के साक्षियों और पीड़ितों, या उनके परिवार के सदस्यो या उनके सगे-संबंधियों, जिन्हें अपराधों के आरोपियों या उनके सहयोगियों या मित्रों या संबंधियों या सह-आरोपियों या उनसे सहानुभूति रखने वालों द्वारा पीड़ितों या उनके परिवार के सदस्यों या उनके सगे-संबंधियों के विरुद्ध प्रत्यक्ष अपराध करके विभिन्न तरीकों से धमकाया, उत्पीड़ित, शारीरिक हमला किया जाता है, के अनिवार्य संरक्षण और तत्संसक्त और आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए। *अपराधों के साक्षियों और पीड़ितों का अनिवार्य संरक्षण विधेयक, 2017.*

विधेयक को पुरःस्थापित **भी** करेंगे।

10. **श्री राजकुमार धूत** प्रस्ताव करेंगे कि धरोहर शहरों और स्थलों की ऐतिहासिक पहचान को बनाए रखकर और अंतर्राष्ट्रीय व घरेलू पर्यटन का संवर्धन करके तथा उनके ऐतिहासिक महत्व का पत्रिकाओं, पुस्तिकाओं और ऐसी अन्य सामग्री के माध्यम से प्रकाशन करके तथा समग्र विकास के लिए धरोहर शहरों को स्मार्ट शहरों के रूप में घोषित करके उनके संरक्षण और विकास और तत्संसक्त और आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए। *धरोहर शहर और स्थल (संरक्षण और विकास) विधेयक, 2017.*

विधेयक को पुरःस्थापित **भी** करेंगे।

11. **श्री राजकुमार धूत** प्रस्ताव करेंगे कि जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कूड़े या अपशिष्ट से प्रदूषित हो रहे पर्यावरण को और अंततः पृथ्वी को प्रदूषण से संरक्षित करने के लिए सड़कों, पार्कों आदि सार्वजनिक स्थानों, सार्वजनिक नालियों या सार्वजनिक रूप से दिखने वाले खुले स्थानों पर गैर-जैव अवक्रमणीय कूड़ा फेंकने या जमा करने से रोकने के लिए मानव बस्तियों से दूर *पर्यावरण संरक्षण (भूमि भराव क्षेत्रों का प्रबंधन और गैर-जैवअवक्रमणीय कूड़े का नियंत्रण) विधेयक, 2017.*

विशिष्ट स्थलों पर आधुनिक भूमि भराव क्षेत्रों की स्थापना के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने, उनके वैज्ञानिक प्रबंधन और आदर्श ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति का निर्माण करने के लिए और उससे संसक्त और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

विधेयक को पुर:स्थापित **भी** करेंगे।

12. **डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी** प्रस्ताव करेंगे कि बाढ़ और सूखे का नियंत्रण करने के लिए राष्ट्रीय बाढ़ और सूखा नियंत्रण बोर्ड का गठन करने तथा उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए। *बाढ़ और सूखा नियंत्रण विधेयक, 2017.*

विधेयक को पुर:स्थापित **भी** करेंगे।

13. **डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी** प्रस्ताव करेंगे कि प्ले स्कूलों के कार्यकरण को विनियमित करने तथा तत्संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए। *प्ले स्कूल (विनियमन) विधेयक, 2017.*

विधेयक को पुर:स्थापित **भी** करेंगे।

14. **श्री सुखेन्दु शेखर राय** प्रस्ताव करेंगे कि देश में आपराधिक कार्यवाही के संबंध में जमानत संबंधी उपबंध करने और नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण सुनिश्चित करने तथा तत्संबंधी या उसके आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने के लिए एक विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए। *जमानत विधेयक, 2017.*

विधेयक को पुर:स्थापित **भी** करेंगे।

15. **श्री सुखेन्दु शेखर राय** प्रस्ताव करेंगे कि भारत के संविधान का और संशोधन करने के लिए एक विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए। *संविधान (संशोधन) विधेयक, 2017 (अनुच्छेद 366 का संशोधन)।*

विधेयक को पुर:स्थापित **भी** करेंगे।

16. **श्री नारायण लाल पंचारिया** प्रस्ताव करेंगे कि शैक्षिक संस्थाओं में वैदिक शिक्षा के शिक्षण को अनिवार्य बनाए जाने और तत्संसक्त तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए। *वैदिक शिक्षा (शैक्षिक संस्थाओं में अनिवार्य शिक्षण) विधेयक, 2017.*

विधेयक को पुर:स्थापित **भी** करेंगे।

17. **श्री नारायण लाल पंचारिया** प्रस्ताव करेंगे कि परंपरागत ऊर्जा को बचाने तथा पर्यावरण का संरक्षण करने के उद्देश्य से सौर ऊर्जा उत्पादन के विकास तथा संवर्द्धन एवं भवनों में सौर ऊर्जा के अनिवार्य प्रयोग तथा तत्संसक्त और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए। *सौर विद्युत (विकास, संवर्द्धन और अनिवार्य प्रयोग) विधेयक, 2017.*

विधेयक को पुर:स्थापित **भी** करेंगे।

18. **श्री नारायण लाल पंचारिया** प्रस्ताव करेंगे कि न्यायिक सांख्यिकी के एकत्रण और उनके प्रकाशन के लिए न्यायिक सांख्यिकी प्राधिकरणों का गठन करने तथा तत्संसक्त और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए। *न्यायिक सांख्यिकी विधेयक, 2017.*

विधेयक को पुर:स्थापित **भी** करेंगे।

19. **श्री राजकुमार धूत** प्रस्ताव करेंगे कि किसानों की साहूकारों, बिचौलियों, बेईमान व्यापारियों और अन्यों के शोषण से संरक्षा करने, ऋण से मुक्ति दिलाने, उनके उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य दिलाने, आधुनिक तकनीकों एवं संबद्ध व्यवसायों द्वारा कृषि पद्धतियों में सुधार लाकर कृषि उपज को बढ़ाने, प्राकृतिक आपदाओं जिनमें फसल बरबाद हो जाती है, की स्थिति में फसल और पशुधन के अनिवार्य बीमा के माध्यम से सुरक्षा दायरे का विस्तार करने और आपदा के दौरान उचित मुआवजा, कामकाज, भोजन, पेय जल, पशुचारा आदि का उपबंध करने, फसल अतिरेक की स्थिति में बाजार में अनिवार्य रूप से हस्तक्षेप करने, वृद्धावस्था भत्ता, बैंकों एवं अन्य संस्थाओं से सुलभ ऋण और राज्य द्वारा किए जाने वाले अन्य कल्याणकारी उपाय ताकि संकटग्रस्त किसानों को आत्महत्या करने से बचाया जा सके और तत्संक्त तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

शोषित, ऋणग्रस्त और गरीबी से ग्रस्त किसान (आत्महत्या से संरक्षा, निवारण और कल्याण) विधेयक, 2014.

यह प्रस्ताव **भी** करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

20. **श्री विशम्भर प्रसाद निषाद** प्रस्ताव करेंगे कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (नए अनुच्छेद 16क का अंत:स्थापन)।

यह प्रस्ताव **भी** करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

21. **श्रीमती वंदना चव्हाण** प्रस्ताव करेंगी कि शिक्षा संबंधी विशेष नि:शक्तता से ग्रस्त बालकों की पहचान और सहायता करने तथा तत्संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

[f]शिक्षा संबंधी विशेष नि:शक्तता से ग्रस्त बालक (पहचान और शिक्षा में सहायता) विधेयक, 2016.

यह प्रस्ताव **भी** करेंगी कि विधेयक को पारित किया जाए।

22. **श्री तिरुची शिवा** प्रस्ताव करेंगे कि स्थापनों में महिलाओं हेतु पदों के आरक्षण तथा तत्संसक्त और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

[f]महिला (कार्यस्थल में आरक्षण) विधेयक, 2016.

यह प्रस्ताव **भी** करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

23. **श्री अनुभव मोहंती** प्रस्ताव करेंगे कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका जैसे राजशासन निकायों में आरक्षण और ऐसे अन्य उपबंध करके देश के शासन में महिलाओं की समान भागीदारी के लिए उन्हें समर्थ बनाने हेतु उनकी अधिकारिता के लिए तथा तत्संबंधी या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

महिला (विनिश्चय करने में समान भागीदारी) विधेयक, 2015.

यह प्रस्ताव **भी** करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

---

[f] संविधान के अनुच्छेद 117 (3) के अधीन राष्ट्रपति की सिफारिश प्राप्त होने के अध्यधीन।

सरकारी विधान कार्य

विचार तथा पारण के लिए विधेयक

1. श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा 2 अगस्त, 2017 को उपस्थित किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर **आगे विचार**:- *कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2017.*

"कि कंपनी अधिनियम, 2013 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, लोक सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए।"

श्री अरुण जेटली प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

2. **श्री प्रकाश जावडेकर** प्रस्ताव करेंगे कि कतिपय प्रबंध संस्थानों को प्रबंधन, प्रबंधन अनुसंधान और ज्ञान से संबद्ध क्षेत्रों में उत्कृष्टता के वैश्विक मानकों को प्राप्त करने के लिए इन संस्थानों को सशक्त बनाने की दृष्टि से राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं घोषित करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक कतिपय अन्य विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर, लोक सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए। *भारतीय प्रबंध संस्थान विधेयक, 2017.*

यह प्रस्ताव **भी** करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

3. **श्री धर्मेंद्र प्रधान** प्रस्ताव करेंगे कि भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान नामक संस्था को राष्ट्रीय महत्व की संस्था होना घोषित करने के लिए और इसके निगमन और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर, लोक सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए। *भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान विधेयक, 2017*

यह प्रस्ताव **भी** करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

नई दिल्ली;
14 दिसम्बर, 2017.

देश दीपक वर्मा,
महासचिव।